कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–883/1675 रायपुर, दिनांक 14/07/2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of 228.0425 ha. Of forest land in favour of NHAI PIU Dhamtari for Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/ Odisha & Jharkhand/ Package-2) Raipur – Vishakhapatnam (Ch. 0.000 – Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana (Forest Proposal is for between km 42 + 844 to Km 124.661 ha.)**
पंजीयन क्रमांक– FP/CG/ROAD/119866/2021

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/F. No. FC-III/IROCH-04/2022/673 दिनांक 12.04.2022
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–29/2021/10–2 दिनांक 26.04.2022
3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक. शा./ एन.एच.ए.आई. 7082 दिनांक 30.06.2022

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/ Odisha & Jharkhand/ Package-2) Raipur – Vishakhapatnam (Ch. 0.000 – Ch. 124.661), मार्ग निर्माण के लिए रकबा 228.0425 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लाक एफ– 5 शिवराज ग्रिन्स, धमतरी को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भ पत्र–2 द्वारा प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुक्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

स.क्र.	प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– -1.**
(ii)	**Compensatory afforestation**	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 228.0425 हे. विरूद्ध स्वीकृति अनुसार महासमुंद वनमंडल के 3 वन परिक्षेत्र के 19 स्थानों में वन विभाग द्वारा निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जावेगा।
a.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 457 ha spread in 19 patches in 03 forest ranges in Mahasamund Forest Divison. Orange Forest Area in Rajnandgoan	

<table>
<tr><td></td><td>division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted, and monoculture of any species may be avoided.</td><td>
<table>
<tr><th>Patch No.</th><th>Range</th><th>Compartment No</th><th>Area (ha.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Saraipali</td><td>437</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Saraipali</td><td>504</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Saraipali</td><td>516</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Saraipali</td><td>494</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Saraipali</td><td>495A</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Saraipali</td><td>495B</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Saraipali</td><td>495C</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Saraipali</td><td>346</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pithaura</td><td>229A</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pithaura</td><td>229B</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pithaura</td><td>282</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pithaura</td><td>278</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pithaura</td><td>211</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Mahasamund</td><td>64</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Mahasamund</td><td>73</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Mahasamund</td><td>69</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Mahasamund</td><td>41</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Mahasamund</td><td>49</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Mahasamund</td><td>59</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>3 Range</td><td></td><td>457.00</td></tr>
</table>
आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक–2</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the current wage rate to the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years:</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा 457.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के निर्धारित दर रू. 8,78,787/– प्रति हे. के मान से रू. 40,16,05,659/– कैम्पा खाता में NEFT No.P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 3.</td></tr>
<tr><td>(iv) a</td><td>NPV: The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at present rate for the 228 0425 ha (180.1675 ha at present and 47.875 ha after ESZ notification) forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 228.0425 हे. क्षेत्र का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की वनमंडलवार कुल राशि रू. 29,55,66,720/– कैम्पा खाता में NEFT No. P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है।</td></tr>
</table>

	Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2005 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	धमतरी वनमंडल – रू. 18,67,47,817/– कांकेर वनमंडल – रू. 5,29,44,553/– केशकाल वनमंडल – रू. 5,58,74,350/– **कुल राशि रू. 29,55,66,720/–** प्रस्तावित क्षेत्र में कांकेर एवं केशकाल वनमंडल के ESZ क्षेत्र (47.875 हे.) की अधिसूचना होने के उपरांत पृथक से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान से लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 4.**
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है, **संलग्नक– 5.**
(v)	Forest clearance is agreed only for diversion of 180.1675 ha forest areas under FC Act, and it does not include forest areas falling under ESZ/ PA.	आवेदक संस्थान तीनों वनमंडलों के सामान्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 180.1675 हे. वनक्षेत्र के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत स्वीकृति हेतु सहमत है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तहत स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है और टाइगर कॉरिडोर के ESZ क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तहत स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही उक्त क्षेत्र में सिविल कार्य किया जाएगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है, **संलग्नक– 6**
(vi)	For the stretch from 89.641 to km 124.661 (35.020 km) falling under default (10 km) ESZ of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve and constituting an area of 47.875 ha, the User Agency shall obtain the revised ESZ notification or approval from the NBWL as mandated under the FC Act, rules and guidelines. In case any realignment or other changes are suggested by NBWL or MoEF& CC during the course, the consequential changes, if any, will be effective in the "In Principle" FC approval accordingly.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक विभाग द्वारा यह वचन दिया गया है कि भारत सरकार के MoEFCC द्वारा जारी सभी लागू अधिनियमों / नियमों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और वन्यजीव मंजूरी मिलने तक, उदंती–सीतानादी टाइगर रिजर्व के डिफ़ल्ट ESZ के तहत प्रस्तावित सड़क संरेखण पर कोई सिविल कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक– 7**

(vii)	Wildlife Conservation and Management Plan approved by Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh as per the WII guidelines shall be submitted before Stage-II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कराई गई योजना अनुसार राशि रू.12,09,80,000/- राशि रू. 12,09,80,000/- कैम्पा खाता में NEFT No. P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है। परन्तु उक्त वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अनुमोदित प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बाबत आवेदक संस्थान द्वारा द्वितीय चरण के पूर्व अनुमोदित प्रति प्रस्तुत करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे शर्त की पूर्ति नहीं होती है। **संलग्नक- 8.**
(viii)	The state shall ascertain whether proposed wildlife area or any portion thereof falls in the declared Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor. In case of any area falling in the Tiger Corridor, the User agency shall take necessary approval from NTCA, the same shall be submitted before Stage-II approval:	आवेदक संस्थान द्वारा एन.टी.सी.ए. अनुमोदन की शर्त पूरी नहीं की गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र में द्वितीय चरण के पूर्व दिये जाने का उल्लेख किया गया है जिससे शर्त की पूर्ति नहीं होती है। **संलग्नक- 9**
(ix)	Total 354 nos, of structures proposed in 81.817 km road length (Road length in Forests 47.875 Km), proposed cross structures for movement of animals are at the interval of 200-250 meters The suitability of the structures and their quantity will be examined by the Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh and the prescribed statutory authorities in the management plan submitted the User Agency, as per the extant guidelines, the same shall be submitted before Stage-II approval.	आवेदक.संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि वन्यप्राणियों के सुगमता हेतु साइट पर विशिष्ट आवश्यकता और वन्यजीव के आवाजाही के आधार पर मार्ग में उचित स्थान पर क्रॉस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जावेगा तथा परियोजना के कार्य के दौरान NBWL/ NTCA के सभी दिशा-निर्देशों, सिफारिशों और वन्यजीव स्वीकृति के शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक- 10**
(x)	The clearance from Project Elephant Division, if required, shall be before the Stage-II approval:	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई स्वीकृति को संलग्न किया गया है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक- 11.**
(xi)	Out of the total project affected 87,613 trees only 68,013 will be felled in 30 meters of Row and 19600 trees falling in the on either side of the road will be kept intact. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि एक्सप्रेसवे सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए लागू आईआरसी मानकों/कोडों को ध्यान में रखते हुए संबंधित वन अधिकारियों की निगरानी में न्यूनतम पेड़ की कटाई की जाएगी। वन मंडलाधिकारी, धमतरी के पत्र क्रमांक/ मा.चि./जी/ 2633 दिनांक 24.05.2022 द्वारा आवेदक संस्थान को वृक्ष गणना, मार्किंग, विदोहन एवं परिवहन में लगने वाले संभावित व्यय की राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है। उक्त राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा करने की कार्यवाही

<table>
<tr><td></td><td>Department</td><td>प्रक्रियाधीन है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 12.</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable, before the Stage-II approval.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इम्पेक्ट एसेसमेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.05.2022 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई पर्यावरण स्वीकृति को संलग्न किया गया है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 13.</td></tr>
<tr><td>(xiii)</td><td>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal
(https://parivesh.nic.in);</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्तो के पालन में कुल राशि रू. 81,81,52,379/– कैम्पा खाता में NEFT No. P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है, जो निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मद</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण</td><td>40,16,05,659/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शुद्ध प्रत्याशा मूल्य</td><td>29,55,66,720/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन्यप्राणी संरक्षण योजना</td><td>12,09,80,000/–</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल जमा राशि</td><td>81,81,52,379/–</td></tr>
</table>
वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 14</td></tr>
<tr><td>(xiv)</td><td>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत 20 ग्राम पंचायतों की 25 गांव प्रभावित होती हैं। उक्त गांवों में वितरित FRA प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 15.</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>Strip plantations on both sides and central verge of the road as per the IRC norms shall be raised by the State forest department by planting tall seedlings of 8-10 feet in height at the cost of User Agency, further, same shall be protected by chain linked fencing at least for initial three years of its growth. In forest patches, plantations of ornamental species should be avoided and preference shall be given to native forest tree species including fruit bearing tree species, like mango, banyan, tamarind, etc;</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation) और ग्रीन हाईवे नीति के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 16.</td></tr>
<tr><td>(xvi)</td><td>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Forest Areas:</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है संलग्नक– 17.</td></tr>
<tr><td>(xvii)</td><td>User Agency in consultation with forest department shall prepare 26 Underpasses, one tunnel of length 2.83 km and 3 viaducts having total length 960 meter along with the following structures.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित मार्ग में 26 नग अंडरपास, 01 नग सुरंग एवं 03 नग वायडक्ट के साथ 29 नग मंकी कैनोपी, 05 नग मुख्य पुलें, 37 नग छोटे पुलें, 14 नग</td></tr>
</table>

	29 nos. of Monkey Canopy. 5 nos. of Major Bridges, 37 nos. of Minor Bridges, 3 nos. Viaduct, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP. 33 nos of LVUP and 233 nos. of Box culverts.	वीयूपी, 02 नग वीओपी, 33 नग एलवीयूपी तथा 233 नग बाक्स कलवर्ट संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 18.**
(xviii)	The User Agency in consultation with Forest Department shall provide under/over pass for safe passage of wild animals at suitable places as per Wildlife Institute of India's manual entitled "Eco friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" published in 2016;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि वन्यप्राणी संरक्षण योजना अनुसार वन्यजीव पर रैखिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना का निर्माण किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 19.**
(xix)	NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A compliance report includeing species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि NHAI रियायतग्राही या अन्य अलग एजेंसी के माध्यम से 50,000 पौधों का नर्सरी विकसित करेगा, जिसमें वन विभाग की अनुशंसा/सुझाव के आधार पर बांस की स्थानीय प्रजातियों, फलदार, औषधीय, सजावटी और देशी/स्थानीय वृक्षों को लगाने को वरीयता दी जाएगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 20.**
(xx)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 21.**
(xxi)	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 22.**
(xxii)	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 23.**
(xxiii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन दिया गया है कि वनक्षेत्र अंतर्गत परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि में सड़क की सीमा का सीमांकन वन

		विभाग के निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत किया जाएगा, जिसकी लागत आवेदक संस्थान (एनएचएआई–पीआईयू धमतरी, छत्तीसगढ़) द्वारा वहन की जाएगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 24.**
(xxiv)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक**– 25.
(xxv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक**–26.
(xxvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal:	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक**– 27.
(xxvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक– 28.**
(xxviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018:	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक**– 29.
(xxix)	Any other condition that the Ministry of Environment. Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है **संलग्नक**– 30.
(xxx)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	नोडल कार्यालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति बाबत आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के पत्र दिनांक 30.06.2022 से प्राप्त हुआ है जिसमें शर्त क्रमांक क्रमशः 7 एवं 8 जो वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अनुमोदन अप्राप्त है एवंएन.टी. सी.ए. से अनुमोदन की शर्त की पूर्ति भी नहीं हुई है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा द्वितीय चरण के पूर्व प्रस्तुत करने का वचन पत्र दिया गया है जिससे वर्तमान में उक्त शर्तो की पूर्ति नहीं होती है।

अतः प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रकरण बिना उपरोक्त अधिरोपित शर्त 7 एवं 8 की पूर्ति के अग्रेषित करने के लिए एवं भारत सरकार, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत 1 वर्ष के लिए कार्य करने की अनुमति जारी करने के संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन देने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
02 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 883/ 1676 रायपुर, दिनांक 14 /07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर / कांकेर वृत्त, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, धमतरी वन मंडल, धमतरी , छत्तीसगढ़।
3. **वनमंडलाधिकारी**, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
4. **वन मंडलाधिकारी**, केशकाल वन मंडल, केशकाल, छत्तीसगढ़।
5. **वन मंडलाधिकारी**, महासमुन्द वन मंडल, महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
6. **परियोजना निदेशक**, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक, एन. एच – 130ए, अभिलाषा परिसर, तिफरा बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़